

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/1009 /

जबलपुर, दिनांक 12 / 2 / 19

II-14-41/95

श्री शैलेश पाटिल, शीघ्रलेखक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को फ़ैक्चर के कारण दिनांक 19.11.18 से 22.12.18 तक 34 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(अरविन्द कुमार शुक्ला)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांक B/1010 /

जबलपुर, दिनांक 12 / 2 / 19

II-14-41/95

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके Memo No. Leave/2591 Indore, Dated 29/11/18 के संदर्भ में श्री शैलेश पाटिल, शीघ्रलेखक का आवेदन पत्र एवं संलग्न सहपत्रों सहित वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।
संलग्न : उपरोक्तानुसार ।
2. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(यू.एस. दुबे)

रजिस्ट्रार कम-पी.पी.एस.